



* जाति प्रमाण-पत्र *

फॉर्म नं.: RJU/2014/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/6117
09-2014

दिनांक 03 -

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी अपेक्षा कुमारी मेघबाल पुत्री दुर्गशंकर गांव/नगर छावनी सम्बन्धिता कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य थे त्रिंशुर साजस्थान में मेघबाल (46) जाति/समदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुचित जाति) (संघ योग्यता) आदेश 1951, संविधान (अनुचित जनजाति) (तथा योग्यता) आदेश 1951, अनुचित जाति तथा अनुचित जनजाति सुधारा (संशोधन) आदेश 1956, बाह्यीकृत युवाओंने मध्यिकायम 1960, स्वामी दुर्गाठन मध्यिकायम 1966, हिंमाधार द्रष्टव्य योग्यता मध्यिकायम 1970, उत्तर दूर्घट फ्रेंड (प्रचलित) मध्यिकायम 1971 और अनुचित जाति तथा अनुचित जनजाति आदेश (संशोधन) मध्यिकायम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (वर्तमान व वर्तमान) अनुसुधारा जाति आदेश 1956, अनुसुधारा जाति तथा अनुचित जनजाति आदेश (संशोधन) मध्यिकायम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अपनामार्द तथा निषेद्धारा द्वारा लम्भी) अनुचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दृष्टान्त तथा चापार हवेची) अनुसुधारा जाति आदेश 1962, संविधान (दृष्टान्त तथा चापार हवेची) अनुसुधारा जनजाति आदेश 1962, संविधान (पाइयर) अनुचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसुधारा जनजाति (दृष्टान्त हटायें) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमक तथा दीप) अनुसुधार पासार आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमक तथा दीप) अनुसुधार जनजाति आदेश 1968, संविधान (भागावेच) अनुसुधार जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी अपेक्षा कुमारी मेघवाल गांव/नगर छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा जिला/डिवीजन कोटा
गांव/संघ गांव भेव राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

三

- यहाँ प्रयोग साधारणतः नियारी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
 - राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की विसिटना सं.प्रक. 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यु.ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
 - उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोरुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र छारिज किया जा सकेगा।
 - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बद्धित दस्तावेजात जिनके सम्बन्धित प्रट्ठ अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कायालिय में निरोक्षण/पर्योक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
 - यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। चतु: सभी कार्यों के लिये मान्य है।
 - प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, लाडपुरा

Signature valid

Digitally signed by
GAJENDRA SINGH
Date: 30/07/2019.03
00:31:57 IST
Reason: GCM
Location: Rajasthan



14383-100007